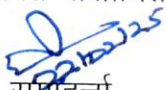


न्यायालय अपर समाहर्ता, पाकुड़

आर0 एम0 पी0 वाद सं0-53/2011-12

(90/2002)

सरकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़-बनाम-खजान सिंह एण्ड सन्स
आदेश

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई में टिप्पणी
01	02	03
	यह वाद विद्वान उपायुक्त पाकुड़ के न्यायालय आर0एम0पी0 वाद सं0-90/2002 में दिनांक-30.12.2011 को पारित आदेश द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत वाद पाकुड़ अंचल के मौजा-खपड़ाजोला के खाता सं0-18/31 के दाग सं0-177 एवं 178 अंतर्गत रकवा-01-15-00धूर भूमि का विपक्षी खजान सिंह एण्ड सन्स, पाकुड़ के नाम अवैध रूप से राजस्व पंजी-11 में सृजित जमाबंदी के विलोपन से संबंधित है। तत्कालीन विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा स्था0 रा0 वि0 वाद सं0-57/98-99 में दिनांक-24.11.2000 को पारित आदेश द्वारा प्रश्नगत जमाबंदी को विलोपित करने की अनुशंसा की गई है। संबंधित पक्षकार को अपने दावे के समर्थन में अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात् विपक्षी उपस्थित तो हुए परन्तु उनके द्वारा अपने दावे के समर्थन में किसी प्रकार का कोई भी कागज/दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया। अंतिम नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। नोटिस के तामिला के बाबजूद भी विपक्षी निर्धारित तिथि को न्यायालय में अनुपस्थित रहें। स्पष्ट है कि विपक्षी की इस वाद में कोई अभिरुची नहीं रह गई है एवं इस वाद में उन्हें कुछ नहीं कहना है। सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रश्नगत भूमि अनाबादी खाते की सरकारी भूमि है। प्रश्नगत भूमि विपक्षी को किस आधार पर प्राप्त हुआ एवं पंजी-11 में जमाबंदी किस आधार पर सृजित की गई है इस संदर्भ में कोई साक्ष्य अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। स्पष्टतः राजस्व पंजी-11 में विपक्षी के नाम से सृजित जमाबंदी, अवैध रूप से सृजित है, जिसका सरकार के हित में विलोपन किया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर विपक्षी खजान सिंह एण्ड सन्स, पाकुड़ के नाम से राजस्व पंजी-11 में सृजित जमाबंदी को विलोपित करने का आदेश दिया जाता है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ को आदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर प्रश्नगत अवैध जमाबंदी को विलोपित करते हुए उसे सरकारी कब्जे में ले लें एवं तदसंबंधी प्रतिवेदन न्यायालय को समर्पित करेंगे। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित संशोधित।  अपर समाहर्ता, पाकुड़।  अपर समाहर्ता, पाकुड़।	